सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 04/2015 **दायर तारीख :– 05-01-2015**

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

— वादी

बनाम

1. नन्दाराम
2. पूरण पुत्र मामराज
3. नारायणी पत्नि शिम्भूदयाल
4. रतनलाल पुत्र शिम्भूदयाल
5. भैरू
6. रमेश पुत्र पांचूराम

(1 से 6) समस्त जाति माली निवासी विराटनगर

7. चन्दा चांदवानी पत्नि भगवान सहाय जाति सिन्धी, बी 548 ईन्द्रविहार ब्लॉक बी, वार्ड नंबर 39 तहसील लाडपुरा जिला कोटा
8. टीकम सिंह पुत्र ओमसिह राजपूत निवासी 198, महाराणा प्रताप नगर, खातीपुरा, जयपुर
9. पूनम पजवानी पत्नि निर्धर पजलानी जाति सिन्धी निवासी 946, रामनगर, शास्त्रीनगर, जयपुर
10. पांची देवी पत्नि ओमकार
11. किशनलाल
12. हनुमान सहाय
13. कैलाश चन्द
14. रामचन्द्र
15. भैरूराम
16. रमेश चन्द

(11 से 13) पुत्रान ओमकार
(14 से 16) पुत्रान पांचूराम
(10 से 16) समस्त जाति माली निवासी विराटनगर

— प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : पैरोकार सरकार

एकपक्षीय कार्यवाही प्रतिवादीगण

निर्णय

निर्णय दिनांक 16.07.2019

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार विराटनगर द्वारा राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि [illegible] नंबर 8/0.11, 9/0.33, 10/0.30, 11/0.34, 12/0.21, 13/0.21, 14/0.26, 15/0.24, 16/0.22, 17/0.24, 30/0.20 हेक्टेयर [illegible] संख्या 14 लगायत 13 [illegible], खसरा नंबर 20/0.31, 21/0.25, 22/0.15, 23/0.22, 24/0.17 हेक्टेयर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:44:32 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16, के नाम एवं खसरा नंबर 25/0.16, 26/0.19, 27/0.35, 28/0.21, 29/0.23 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 7, 14, 16, के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2070–2073 है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि पर मौके पर बिना किसी सक्षम स्वीकृति के अवैध रूप से ग्रेवल सडक बनाकर आवासीय उपयोग हेतु कालॉनी बनाई जा रही एवं न्यू विराटनगर आफीसर एन्कलूजर के नाम से बोर्ड लगा रखा है, जबकि उक्त भूमि कृषि भूमि है, तथा आराजी मुतनाजा का उपयोग अकृषि कार्य में किया जा रहा है, जो नियम विरूद्व हैं प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि का बिना रूपान्तरण कराये अकृषि के उपयोग में ली जा रही है, जो काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लघंन है। अतः निवेदन है कि उक्त भूमि राज. सरकार में दर्ज करने के आदेश फरमावें।

2. वाद/प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहें। प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

3. पैरोकार सरकार ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नक्शा ट्रेस, नकल जमाबंदी संवत 2070–2073, फर्द मौका दिनांक 02.01.2015 आदि पेश किये।

4. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा पैरोकार सरकार को सुना गया। जमाबंदी सवंत् 2070–2073 आराजी मुतनाजा खसरा नंबर 8/0.11, 9/0.33, 10/0.30, 11/0.34, 12/0.21, 13/0.23, 14/0.26, 15/0.24, 16/0.22, 17/0.24, 30/0.20 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 13 के नाम, खसरा नंबर 20/0.31, 21/0.25, 22/0.15, 23/0.22, 24/0.17 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16, के नाम एवं खसरा नंबर 25/0.16, 26/0.19, 27/0.35, 28/0.21, 29/0.23 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 7, 14, 16, के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। पैराकार सरकार का तर्क रहा कि मौके पर प्रश्नगत भूमि पर खेती नहीं की जा रही है, बल्कि ग्रेवल सडक बनाकर आवासीय उपयोग हेतु कालॉनी बनाई जा रही एवं न्यू विराटनगर आफीसर एन्कलूजर के नाम से बोर्ड लगा रखा है। प्रतिवादीगण की तलबी की गई, प्रतिवादीगण के बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहें। प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई है। आराजी मुतनाजा का प्रतिवादीगण द्वारा भूमि रूपान्तरण नहीं कराया है। पैरोकार सरकार का यह भी तर्क रहा कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:44:32 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रतिवादीगण बिना भू–रूपान्तरण आराजी मुतनाजा का उपयोग अकृषि कार्य नहीं कर सकता है। प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा को केवल काश्त कर सकता है। अतः आराजी मुतनाजा को सिवायचक राज्य सरकार में दर्ज करने के आदेश दिये जावें। प्रतिवादीगण द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति के आराजी मुतनाजा का अकृषि उपयोग किया है, जो विधिक नहीं है तथा काश्तकारी शर्तो का उल्लघंन है। चूंकि प्रतिवादीगण के खाते में आराजी मुतनाजा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि के रूप में दर्ज है, इसलिए प्रतिवादीगण कृषि प्रयोजनार्थ से इतर भूमि का उपयोग/उपभोग नहीं कर सकता है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 177 में यह स्पष्ट है कि ''अभिधारी अपनी जोत(भूमि) में भूमि के लिए अहितकारी कार्य या जिस प्रयोजन के लिए भूमि दी गई है उससे असंगत कार्य करेगा तो बेदखली का दायी होगा''। यहां यह पूर्णतया स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण ने कृषि से इतर उपयोग किया है। पैरोकार सरकार की बहस से स्पष्ट है कि वाद दायरी से पूर्व ग्रेवल सडक बनाकर आवासीय उपयोग हेतु कालॉनी बनाई जा रही है एवं न्यू विराटनगर आफीसर एन्कलूजर के नाम से बोर्ड लगाकर उपयोग किया जा रहा था। आराजी मुतनाजा कृषि है, जिसका मौके पर अकृषि प्रयोजन हेतु उपयोग हो रहा है, जो काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लघंन है। अतः आराजी मुतनाजा को सिवायचक राज्य सरकार में दर्ज किया जाना न्यायसंगत एवं उचित है।

आदेश

वादी (पैरोकार सरकार)का वाद डिक्री किया जाता है। वाके ग्राम कुहाडा के खसरा नंबर 8/0.11, 9/0.33, 10/0.30, 11/0.34, 12/0.21, 13/0.23, 14/0.26, 15/0.24, 16/0.22, 17/0.24, 20/0.31, 21/0.25, 22/0.15, 23/0.22, 24/0.17, 25/0.16, 26/0.19, 27/0.35, 28/0.21, 29/0.23, 30/0.20 हैक्टेयर भूमि को अकृषि उपयोग मौके पर ग्रेवल सडक बनाकर आवासीय उपयोग हेतु कालॉनी बनाई जाकर एवं न्यू विराटनगर आफीसर एन्कलूजर के नाम से बोर्ड लगाकर उपयोग में आने के कारण सिवायचक राज्य सरकार में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार विराटनगर राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण की खातेदारी हजफ कर अमल दरामद करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार [illegible] प्रेषित की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 16 [illegible] 2019 सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:44:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर